राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

<u>कोर्स रिपोर्ट</u>

इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राईम केसेज

राजस्थान पुलिस अकादमी में 'इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राईम केसेज' विषय पर दिनांक 23.10.2017 से 02.11.2017 तक दो सप्ताह के कोर्स का आयोजन किया गया।

Sitting Row L to R = Brijbala Singh, Varsha Rani, Alka, Sarla Yadav, Suman Kaviya, Rajesh Sharma IPS(Dy Director), **Rajeev Dasot, IPS (Addl DGP Cum Director)**, Dilip Saini Addl. S.P, Nand Kumar Katewa, Dr.Seema Pathan, Mukesh, Kiranjeet Kaur, Geeta Chaudhary

Ist Row L to R = Banwari Lal Kumawat, Dileep Singh Shekhawat, Vikas Chander, Gopal Lal Jangid, Om Prakash, Bhanwar Singh Rathore, Santosh Kumar, Hari Narayan, Rajbir Jakhar, Nathu Lal Meena, Ramavtar Sharma, Rajesh Kumar, Satyaveer, Jagdish Prasad, Urmila

IInd Row L to R = Prakash Chandra, Mukesh Kumar Sharma, Manoj Kumar Jain, Sandeep Kumar, Mahendra Singh, Ram Krishan Choudhary, Omveer Singh, Ajay Kumar, Rohitashav Kumar, Krishan Kumar, Mahendra Singh, Ghanshyam, Jitendra Kumar, Mohd. Shafiq Khan, Ram Lal

इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 1 पुलिस निरीक्षक, 37 पुलिस उप निरीक्षक एवं 1 सहायक पुलिस उप निरीक्षक स्तर के कुल 39 अधिकारी प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें साईबर अपराधों के अनुसंधान विषय पर प्रथम सप्ताह में विभिन्न व्याख्याताओं श्री दिलीप कुमार सैनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आरपीए, श्री अनिल पाराशर, संयुक्त निदेशक, एनआईसी, जयपुर, श्री परमेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, जयपुर, श्री मिलिन्द अग्रवाल, साईबर एक्सपर्ट, श्री निशीथ दीक्षित, एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर, डॉ. शैलेन्द्र झा, उप निदेशक, एफएसएल, जयपुर, श्री ओशो पार्थ,

साईबर एक्सपर्ट द्वारा साईबर अपराध में वर्तमान ट्रेंडस, कम्प्यूटर की मूलभूत जानकारी यथाः हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट, साईबर अपराध संबंधित IT Act, स्पेशल एक्ट, अन्य लोकल एक्ट एवं IPC की लगने वाली विभिन्न धाराऐं, विभिन्न साईबर अपराध जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, वायरस व वोर्म फैलाना, फिशिंग, विशिंग, कम्प्यूटर नेटवर्क डिसरप्शन, साईबर बुलिंग, आईडेंटिटी थेफ्ट, साईबर आतंकवाद, ई–मेल से धोखाधड़ी, ई–मेल स्पूफिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड फ्रॉड़, कॉपी राईट से संबंधित अपराध, पोर्नोग्राफी, धोखाधड़ी, डिनाईल ऑफ सर्विस अटैक, वेब डीफेसमेन्ट, वेबसाईट हैकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी आदि के अपराध करने के तरीके वारदात बताने के अलावा इनके अनुसंधान के तरीके व SOP की जानकारी दी। साईबर अपराधों में डाटा स्टोरेज डिवाईसेज की हैश वैल्यू निकालना, राईट ब्लॉकर की मदद से इमेजिंग करना, इमेज का विश्लेषण करना या करवाया जाकर विभिन्न कानूनों यथाः IT Act., इंटरमीडियरी गाईड लाईन, टेलीग्राफ एक्ट, साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों व संबंधित नियम, कोर्ट के निर्णयों के बारे में बताया।

साईबर अपराध से संबंधित कोर्स के दूसरे सप्ताह में विभिन्न व्याख्याताओं श्री मुकेश यादव, उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी, जयपुर, श्री परमेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, एससीआरबी, जयपुर, डॉ. विश्वास भारद्वाज, सहायक निदेशक(फिजिक्स), एफएसएल, जयपुर, श्री शेखर सिंह, बैंक मैनेजर (इन्वेस्टिगेशन), जयपुर, श्री नील कमल, जेनपक्ट, जयपुर, श्री ओशो पार्थ, साईबर एक्सपर्ट, जयपुर द्वारा विभिन्न प्रकार की कॉल डिटेल व टावर डम्प का विश्लेषण, एमएस–एक्सल का उपयोग करते हुए सीडीआर विश्लेषण करवाया, साईबर अपराध के अनुसंधान के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यों की पहचान, चैन ऑफ कस्टडी, संदिग्ध इलेक्ट्रोनिक डिवाईस की पैकिंग कर FSL भिजवाना, FSL से पूछे जाने वाले प्रश्न व पूरी प्रक्रिया के दौरान डूज् व डॉन्ट्स की जानकारी दी, बैंकिंग फ्रोड एवं इनके डेटा कलेक्शन को कैस स्टेडी के माध्यम से समझाया गया इसके अतिरिक्त डार्क वेब के माध्यम से होने वाले विभिन्न अपराधों के बारे में विस्तार जानकारी दी गई।

इस कोर्स के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उनके थानों से लाये गये साईबर अपराध से संबंधित अनसुलझे कैसेज की 39 पत्रावलियों का विश्लेषण कर विभिन्न व्याख्याताओं से इस अनुसंधान को सफल बनाने हेतु अग्रिम अनुसंधान हेतु दिशा निर्देश दिये गये।

कोर्स के समापन पर अतिरिक्त पुलिस कमिशनर–II, जयपुर पुलिस कमिशनरेट डॉ नितिन दीप बलग्न द्वारा प्रतिभागियों को उद्बोधन कर उन्हे प्रमाण–पत्र प्रदान किये गये। इस कोर्स के कोर्स डायरेक्टर श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक (स्पेशल कोर्स एवं सीओई) तथा सहायक कोर्स डायरेक्टर श्री नन्द कुमार कटेवा, प्रोग्रामर थे।